# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : डॉ. सौम्या झा

आई०ए०एस०

अपील संख्या0 15/2026

कमलेश पुत्र जगदीश मीना निवासी मीणों की ढाणी, लाडपुरा वार्ड नं. 4 ग्राम पंचायत लाडपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

......अपीलांट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट

.......रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 19.03.2026 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट

उपस्थितः श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 03.06.2026

1. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट द्वारा अपना एवं पत्नि हीरा देवी का नाम पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत थलोज/चांदसेन से नाम हटाने (प्रपत्र 2) एवं ग्राम पंचायत लाडपुरा की मतदाता सूची मे नाम जोडने संबंधी आवेदन (प्रपत्र 1) पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में अपील की गयी जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2026 को पारित निर्णय में अपीलान्ट की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए रिमाण्ड करते हुए प्रकरण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट को प्रेषित करने का निर्णय पारित किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा प्रकरण की पुनः जांच कर निर्णय दिनांक 19.3.2026 के द्वारा अपीलान्ट का निवास स्थान ग्राम चांदसेन ही स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के पंचायत मतदाता सूची में नाम जोडने के आवेदन प्ररूप 1 व नाम हटाने संबंधी आवेदन प्ररूप 2 को अस्वीकार किया गया।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट के निर्णय दिनांक 19.03.2026 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।
3. अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट से बिन्दुवार टिप्पणी को अपील की प्रति भेजकर मूल अभिलेख व रिपोर्ट मय टिप्पणी तलब की गई।

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची दिनांक 25.03.2026 को प्रस्तुत की गयी। दस्तावेजों की सूची अनुसार संलग्न दस्तावेज निम्नुानसार हैं:—

- मतदाता पहचान पत्र संख्या **ZQV0103374** कमलेश पुत्र जगदीश प्रसाद, जिस पर पता मीणों की ढाणी, ग्राम लाडपुरा अंकित हैं। **(ईसीआई नेट पर उक्त ईपिक नम्बर वर्तमान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हैं।)**
- आधार कार्ड कमलेश कुमार मीना संख्या 7984 1734 8589 जिस पर पता ग्राम लाडपुरा अंकित हैं।
- बिजली का बिल के.नं. 210331050016 जिस पर पता ग्राम लाडपुरा अंकित हैं।
- मूल निवास प्रमाण—पत्र क्रमाक आरजे/2017/राजस्व विभाग/मूल निवास प्रमाण पत्र/26733493537 जो कि ग्राम लाडपुरा का हैं। (उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र रिपोर्ट ईआरओ के अनुसार निरस्त कर दिया गया हैं)
- परिवार राशन कार्ड संख्या 007890000572 जिस पर ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत चांदसेन अंकित हैं।
- जमाबंदी खसरा संख्या 452/127 जो कि कमलेश कुमार पुत्र जगदीश सा. चांदसेन की हैं।
- मकान के फोटोग्राफस जिस पर अक्षांश 26.530978 एवं देशान्तर 76.295791 डिग्री अंकित हैं तथा लोकेशन लाडपुरा (पिन 303503) हैं।

5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट से न्यायालय के पत्रांक 1614 दिनांक 03.05.2026 के द्वारा अपीलान्ट कमलेश पुत्र जगदीश के निवास संबंधी तथ्यात्मक विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने के क्रम में जांच रिपोर्ट पत्रांक 672 दिनांक 18.05.2026 द्वारा प्रेषित की गयी। जांच रिपोर्ट में निम्नानुसार तथ्य प्राप्त हुए हैं:—

- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न जांच अधिकारियों की मौका फर्द रिपोर्ट व अन्य टिप्पणी प्रस्तुत की हैं।
- बीएलओ भाग संख्या 225 (लाडपुरा) विधानसभा क्षेत्र लालसोटः— मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.05.2026 एवं संलग्न रिपोर्ट में बताया गया कि अपीलार्थी का ग्राम लाडपुरा में निर्माणाधीन मकान हैं परन्तु वर्तमान निवास अपने पैतृक मकान ग्राम चांदसेन में अपने परिजनों के साथ निवासरत बताया गया हैं।
- बीएलओ भाग संख्या 203 (चांदसेन) विधानसभा क्षेत्र लालसोटः— संलग्न रिपोर्ट में बताया गया कि पंचायत पुनर्गठन से पूर्व अपीलार्थी का नाम विधानसभा क्षेत्र लालसोट के ग्राम चांदसेन की मतदाता सूची में दर्ज था। तद्नुसार ई—सूची से तैयार पंचायत मतदाता सूची 2026 में अपीलार्थी का नाम ग्राम पंचायत थलोज के राजस्व ग्राम चांदसेन की मतदाता सूची में दर्ज हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

- पटवार हल्का लाडपुरा एवं चांदसेन की संयुक्त रिपोर्ट में मौका फर्द रिपोर्ट में बताया गया कि कमलेश पुत्र जगदीश मीना का ग्राम लाडपुरा मोड पर निर्माणाधीन मकान हैं परन्तु वर्तमान निवास अपने पैतृक मकान में अपने परिजनों के साथ ग्राम चांदसेन में बताया गया हैं।
- सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार लालसोट के पत्रांक 952 दिनांक 15.05.2026 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि कमलेश पुत्र जगदीश मीना का ग्राम लाडपुरा मोड पर निर्माणाधीन मकान हैं परन्तु वर्तमान में अपीलार्थी अपने परिजनों के साथ पैतृक मकान ग्राम चांदसेन निवासरत हैं।

6. राजस्थान पंचायत राज नियम 1994 की धारा 18 में Subject to the provisions of Sub-sec. (3) to (6), every person who – is not less than eighteen years of age on the qualifying date and is ordinarily resident in a ward or constituency of the Panchayati Raj institution concerned. Shall be entitled to be registered in the electoral roll for the ward of constituency." के आधार पर पंचायत मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु प्रार्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो एवं आवेदन में वर्णित पते पर सामान्य तौर पर निवास प्रमाणित होना आवश्यक हैं।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट की दलीलों पर मनन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एस.डी.एम.) लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।
8. अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का नाम ग्राम लाडपुरा की विधानसभा की मतदाता सूची में पहले से ही विद्यमान है, अपीलांट साधारण रूप से ग्राम लाडपुरा में पुख्ता मकान बनाकर निवास कर रहा है। ग्राम चांदसेन में अपीलांट के माता पिता का मूल निवास है। अपीलांट की कृषि भूमि भी ग्राम लाडपुरा में विद्यमान है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा राजनैतिक द्वेषता से अपीलांट का नाम जान बूझकर लाडपुरा में जोडे जाने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी का निवास अपने परिजनों के साथ पैतृक मकान में ग्राम चांदसेन बताया गया हैं। जबकि अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि वह वर्तमान में लाडपुरा में निवासरत है। इसके समर्थन में आधार कार्ड तथा विधुत विपत्र माह जनवरी, 2026, परिवार राशन कार्ड में निवासी लाडपुरा अंकित है, जबकि नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 ग्राम लाडपुरा के खसरा नंबर 452/127 में साकिन चांदसेन अंकित है। जबकि तहसीलदार लालसोट, पटवारी हल्का ग्राम पंचायत लाडपुरा/थलोज की जांच रिपोर्ट एवं मौका फर्द के अनुसार अपीलांट का निवास अपने परिवार के साथ पैतृक मकान ग्राम चांदसेन में है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट की रिपोर्ट एवं अपीलांट के कथनों में विरोधाभास है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट का निर्णय दिनांक 19.03.2026 को निरस्त किया जाकर इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए तथा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। यह सुनिश्चित किया जावे कि अपीलांट अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे। निर्णय की प्रति पालनार्थ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

( डॉ. सौम्या झा )
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

( डॉ. सौम्या झा )
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official